

किये गये । उनका कहना था कि प्रकरण में वास्तविक तथ्य यह है कि विवादित भूमि के खातेदार कल्लू खां, यामीन खां पि.बशीर खां, नशीबन बेवा बशीर खां, फयाज खां, इस्माईल खां पि. अलादीन खां ने अपीलार्थी संख्या 1 व अपीलार्थी संख्या 2 के पति व अपीलार्थी संख्या 3 से 6 के पिता के हक में खसरा नम्बर 73, 78 लगायत 83, 85, 86, 90, 92, 98, 99 के संबंध में रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 28.2.97 को उप पंजीयक दौसा से पंजीकृत करवा दिया था जिसके आधार पर विवादित भूमि की खातेदारी अपीलार्थी संख्या 1 व मुनवर खां पुत्र निवाज खां के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई थी । इसके पश्चात् अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट 2 से 4 द्वारा उक्त भूमि में से भूमि का बेचान अलग अलग व्यक्तियों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से कर दिया गया जिसके आधार पर क्रेताओं का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित हो गया तथा मौके पर क्रेताओं का कब्जा है । रेस्पोंडेन्ट्स 2 से 4 के पास विवादित भूमि वर्तमान में है ही नहीं तथा इसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को भी है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलों में उपरोक्त तथ्यों को छिपाया गया है । उनका कहना था कि पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में हकत्याग पत्र, विक्रय पत्रों एवं विरासत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक होना अंकित किया है जिन्हें भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । अपीलार्थी विवादित भूमि का विधिवत खातेदार होने से प्रभावित पक्षकार है जिसे अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नहीं होने से अपीलाधीन आदेशों की जानकारी उन्हें समय पर नहीं हुई और जानकारी होने पर आदेश की नकल लेकर अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान कर विलम्ब को क्षमा किया जावे । तीनों अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों के विपरीत, विधि विरुद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः तीनों अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावें ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार रेस्पोंडेन्ट्स के पिता अलादीन खां थे जिनके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 30 न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 23.5.94 को इसराईल खां, फैयाज खां एवं इस्माईल खां पुत्रान अलादीन खां एवं शकूरी बेवा अलादीन खां के नाम स्वीकार किया गया था तथा शकूरी बेवा अलादीन के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 43 ग्राम पंचायत जीरोता खुर्द, तहसील दौसा द्वारा दिनांक 10.6.96 को इसराईल खां, फैयाज खां एवं एवं इस्माईल खां पुत्रान अलादीन खां के नाम स्वीकार किया गया था । अधीनस्थ न्यायालयों जिला कलक्टर दौसा एवं उप खण्ड अधिकारी दौसा ने दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त किये हैं तथा प्रकरण नियमानुसार आवश्यक जांच कर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किये हैं तथा तहसीलदार दौसा द्वारा उक्त रिमाण्ड प्रकरण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.9.2016 पारित कर नामांतरकरण संख्या 43 दिनांक 10.6.96 में दर्ज आराजी का नामांतरकरण शकूरी पत्नि अलादीन खां के वारिसान इशारायल खां, फैयाज खां, इस्माईल खां पि. अलादीन खां एवं उन्नाब पत्नि गुलाब पुत्री अलादीन खां हिस्सा 1/3 दर्ज करने के आदेश दिये हैं । उनका कहना था कि जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में पारित किया है जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती । दोनो अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है । उनका कहना था कि अपीलान्त्स को तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध अपील जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिये थी । अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्पक है । अतः तीनों अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जावे ।


मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये एवं विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है । प्रकरण में ग्राम देलेलपुरा स्थित आराजी के खातेदार अलादीन खां की विरासत का नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 23.5.94 को तहसीलदार/नायब तहसीलदार दौसा द्वारा इसराईल खां, फैयाज खां, इसमाईल खां

पि. अलादीन एवं शकूरी बेवा अलादीन के नाम स्वीकार किया गया था तथा नामांतरकरण संख्या 43 शकूरी बेवा अलादीन की विरासत का इशराईल खां, फैयाल खां, इसमाईल खां पि. अलादीन खां के नाम ग्राम पंचायत जीरोता द्वारा दिनांक 10.6.96 को स्वीकार किया गया था । उक्त दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ क्रमशः जिला कलक्टर दौसा एवं उप खण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष रेस्पॉन्डेन्ट उन्नाब पुत्री अलादीन खां द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गईं जो जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 8.6.2015 एवं उप जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 30.5.2016 द्वारा नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक जांच कर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किये गये हैं । उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 30.5.2016 से नामांतरकरण संख्या 43 दिनांक 10.6.96 ग्राम दलेलपुरा का प्रकरण तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड होने पर उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार दौसा ने निर्णय दिनांक 26.9.2016 पारित कर शकूरी पत्नि अलादीन खां के वारिसान इशरायल खां, फयाज , ईशमाईल खां पि. अलादीन खां एवं उन्नाब पत्नि गुलाब पुत्री अलादीन खां हिस्सा 1/3 का नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश दिये हैं । प्रकरण में अपीलान्त बाबू खां पुत्र निवाज खां एवं अपीलार्थी संख्या 2 आबिदा के पति मुनवर खां , अपीलार्थी संख्या 3 से 6 के पिता मुन्नवर खां के हक में दिनांक 28.2.97 को कल्लू खां, यामीन खां पि. बशीर खां, नशीबन बेवा बशीर खां, फैयाज खां, इसमाईल खां पि. अलादीन खां द्वारा भूमि का हकत्याग पत्र पंजीकृत कराया था ओर इनका नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित होने पर अपीलार्थी व रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा विवादित भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को कर दिया गया जिनके आधार पर क्रेताओं का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो गया । अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये पारित किये हैं जिनको न्यायिक दृष्टि से बनाये नहीं रखा जा सकता । हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नामांतरकरणों के संबंध में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि तीनों अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स को बिना सुने व उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही तथा प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये पारित किये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा सभी पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत नामांतरकरणों के संबंध में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है । परिणामस्वरूप तीनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 8.6.2015, उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 30.5.2016 , उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 30.5.2016 की अनुपालना में तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.9.2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार दौसा को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


 (चित्रा गुप्ता)
 पत्रिकृत सहायक प्राध्यापक
 अति. सम्भागीय आयुक्त,
 जयपुर